

(रा.रा. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सौमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अमरौडी की जमाबन्दी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 206, 104 में मेरा/हमारे नाम 206 में - चन्द्रराम श/ कपूरराम, 104 - चन्द्रराम श/ कपूरराम दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम चन्द्र सिंह श/ कपूर सिंह है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

[Handwritten Signature]
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

संलग्न दस्तावेज अनु. चन्द्रराम श/ कपूरराम व चन्द्रराम श/ कपूरराम के स्थान पर चन्द्र सिंह श/ कपूर सिंह नाम सुद्ध किये जाने की अनुशाखा की जाती है।

[Handwritten Signature]
17-12-2015
RLR 29/03/15

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

[Handwritten Signature]
पारान्तरी
17/12/15

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

[Handwritten Signature]
तहसीलदार समदडी

GCMJ NO. 2026/213

आदेश 216

13/03/2026

क्रमांक / 2025 2671

दिनांक 18-12-2015

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम अमरौडी की जमाबन्दी संवत् 2077 के खा

संख्या 206, 104 में 206 में - चन्द्रराम श/ कपूरराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

चन्द्र सिंह श/ कपूर सिंह

की जाती है तदनुसार रेकॉर्ड में ग्राम अमरौडी की जाये ।



[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)